यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर के माह 02/2018 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री अक्षय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यवीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/03/2019 से 13/03/2019 तक श्री वी0पी0 सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण (दिनांक 05/03/2019 से 13/03/2019 तक) में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षाश्री आर0एन0 यादव, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री नंदन सिंह भंडारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.02.2018 से 07.03.2018 तक में श्री नीरज चुन्गु, वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2017से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2018 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड कालाढुंगी, रामनगर, कोटाबाग, बेतालघाट के अन्तर्गत सड़को का निर्माण एवं रखरखाव कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	497.21	497.21	2802.30	2802.30	-	-
2017-18	-	-	620.42	620.42	2337.56	2337.56	-	-
2018-19 (up to 02/2019)	-	-	633.14	579.33	2764.86	2346.27		

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018-19 (up to 02/2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन/प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून

––मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, क्षे0का0, हल्द्वानी

–– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल

–– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।''मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 545/2012 के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के मालधन चौड़ देवीपुरा गौतमनगर (दुर्गापुर किलावाली मालधन चौड़) हाटमिक्स से सुधारीकरण का कार्य'' का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक–– शून्य –– तक में निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 एवं 09/2017 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 02/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है:–

भाग प्रथम ₹ 603144.29
भाग द्वितीय ₹ 173132.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 02/2019 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 5508357.00

(ख) सामग्री क्रय .. शून्य ..

(ग) नगद परिशोधन .. शून्य ..

(घ) निक्षेप ₹ 23299369.00

(ङ) भण्डार ₹ (-) 645855.00

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः 1 - धनराशि रु 151.90 लाख की वसूली/समायोजन लंबित रहना।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर के माह 01/2019 की प्रकीर्ण अग्रिम से संबन्धित पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि माह 01/2019 तक खण्ड मे विभिन्न फ़र्मों/ अधिकारियों/ कर्मचारियो के नाम कुल रु 156.84 लाख की धनराशि वसूली/ समायोजन हेतु लंबित पड़ी थी। जिसमे से रु 151.90 लाख की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार 13 व्यक्ति/फ़र्म को प्रदान की गयी थी। जिसकी वसूली/ समायोजन अतिथि तक भी नही किया गया था। आगे अभिलेखो की नमूना जांच मे यह भी पाया गया कि I.O.C मथुरा के पास माह 10/2018 तक रु 57.76 लाख का अग्रिम अवशेष था, जिसके समायोजन के बिना ही खंड द्वारा माह 11/2018 को पुन: 40.00 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया। इसके पश्चात माह 12/2018 मे I.O.C मथुरा के पास रु 97.76 लाख का अग्रिम होने के बावजूद उसके समायोजन के बिना ही पुन: माह 01/2019 को रु 40.00 लाख का अग्रिम दिया गया। जिसका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि तक भी नही किया गया था। इस प्रकार पूर्व मे दिये गए अग्रिम की धनराशि का समायोजन किए बिना ही वित्तीय नियमो के विपरीत बार-बार अग्रिम दिया गया। 13 व्यक्ति/फ़र्मों का विवरण निम्न प्रकार से है, जिनके नाम रु 151.90 लाख की धनराशि वसूली/समायोजन हेतु लंबित है :-

Month from which transaction relates	Particulars of item(to be group by class of MWA) refered to para 578 of FHB volume-VI	Opening Balance (04/2018)	वसूली/ समायोजन की गयी धनराशि	अतिथि तक वसूली/ समायोजन हेतु लंबित धनराशि (रु. मे)
1	2	3	4	5
03/2001	श्री संजय कुमार अग्रवाल, ठेकेदार	14050.00	0.00	14050.00
09/2002	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल	144565.00	0.00	144565.00
02/2005	श्री कैलाश चन्द्र जोशी, कनिष्ठ अभियंता	25260.00	0.00	25260.00
12/14	डीन टेक्नोलाजी पंतनगर	126087.00	0.00	126087.00
02/17	I.O.C Haldwani	5588882.00	0.00	13776411.00

04/17	जी.बी.पन्त इंजी. कालेज पौड़ी	811823.00	0.00	977023.00
03/17	श्री राम नारायण,चालक	7625.00	6936.00	1279.00
04/17	श्री जगदीश चन्द्र आर्या, अनुरक्षक	22900.00	6700.00	16200.00
08/16	श्री राम सिंह,ठेकेदार	5580.00	0.00	5580.00
08/16	श्री नवीन चन्द्र, ठेकेदार	18969.00	0.00	18969.00
05/17	J K Tyre	19039.00	0.00	19039.00
05/17	मै. वुडहिल	63250.00	0.00	63250.00
02/18	हिंदुस्तान पैट्रोलियम	1593751.00	1591402.00	2349.00
Total		**8441781.00**	**1605038.00**	**15190062.00**

लेखा परीक्षा द्वारा बिन्दु इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि का समायोजन/वसूली कर ली जाएगी, जिसके लिए संबन्धित फ़र्मों/ अधिकारियों/ कर्मचारियो से पत्राचार किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि कई वर्षो से समायोजित/वसूली हेतु लंबित है। साथ ही खण्ड द्वारा I.O.C मथुरा को पूर्व मे दिये गये अग्रिम के समायोजन के बिना ही बार-बार पुन: अग्रिम दिया जाना वित्तीय नियमानुसार गलत है। संबंधितों से इस संबंध मे किए गए पत्राचार से संबन्धित कोई साक्ष्य भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2: रू0 19,68,625.86 liquidated damages की कटौती न किया जाना।

शासनादेश संख्या–1859/III(2)/16–20 (प्रा0आ0)/2016 लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 06.06.2016 के द्वारा **"जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत एस0एच0 41 के किमी0 325 से चन्दनगर मालधनचौड़ मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई–4.00 कि0मी0)"**हेतु रू0 292.11 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पत्रांक 4896 दिनांक 08.08.2016 के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य के विस्तृत आगणन रू0 292.11 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु ई–प्राक्योरमेन्ट टू–बिड सिस्टम के तहत निविदायें अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल की निविदा सूचना 2597 दिनांक 23.06.2016 द्वारा आमंत्रित की गई थी। दिनांक 01.08.2016 तकनीकी बिड तथा दिनांक 12.08.2016 को वित्तीय निविदा खोली गई तथा मैसर्स आर0जी0 बिल्डवैल इंजीनियर्स लिमिटेड, गाजियाबाद न्यूनतम निविदादाता (25.83 प्रतिशत कम पर) पाये गये। स्वीकृत आगणन एवं शैडयूल बी की कुछ मदों की मात्राओं में परिवर्तन होने के कारण, स्वीकृत आगणन की मात्राओं एवं शैडयूल बी की दरों के आधार पर कार्य की रिवाईज्ड शैडयूल बी बनाई गयी। रिवाईज्ड शैडयूल बी के अनुसार कार्य की लागत रू0 2,65,42,077.16 आती है जिस पर मैसर्स आर0जी0 बिल्डवैल इंजीनियर्स लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा दी गयी दर 25.83 प्रतिशत कम करने पर निविदा की लागत रू0 1,96,86,258.63 आती है। दिनांक 15.10.2016 को सफल फर्म के साथ अनुबन्ध गठित किया गया तथा अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि दिनांक 15.10.2016 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 14.07.2017 थी।

अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने की दशा में "The liquidated damages for the whole of the works are (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per day. The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the Initial Contract Price.

आगे लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य दिनांक 31.05.2018 को पूर्ण किया गया तथा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित आधार पर 323 दिनों की समयावृद्वि की मांग की गयी।

क्र0सं0	कार्य में रूकावट का कारण	रूकावट की अवधि	कुल दिवस
1.	कोसी नदी में खनन बन्द होने के कारण मार्ग निर्माण सामग्री न मिलने के कारण व	25.03.2017 से 30.11.2017 तक	250 दिन

	वर्षा ऋतु के कारण		
2.	सर्दी का मौसम होने के कारण डामर का कार्य नही किया जा सका	15.12.2017 से 15.02.2018 तक	62 दिन
3.	अतिरिक्त कार्य कराये जाने के कारण		11 दिन
कुल			323 दिन

खण्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त 323 दिनों की समयावृद्वि का पत्र अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय को दिनांक 27.07.2018 को प्रेषित किया गया था लेकिन समयावृद्वि की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय से सम्प्रेक्षा तिथि (मार्च 2019) तक प्राप्त नही हुयी थी। आगे जांच में यह भी पाया गया कि खण्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में अन्तिम बिल का भुगतान दिनांक 27.08.2018 को कर दिया गया था लेकिन खण्ड कार्यालय द्वारा अन्तिम बिल में से liquidated damages की धनराशि रू0 19,68,625.86 (रू0 1,96,86,258.63 का 10 प्रतिशत) की कटौती सम्बन्धित भुगतान मे से नही की गयी थी। जबकि खण्ड कार्यालय द्वारा अन्तिम भुगतान में से रू0 19,68,625.86 liquidated damages की कटौती की जानी चाहिये थी। क्योंकि खण्ड कार्यालय द्वारा ठेकेदार फर्म को कार्य की धीमी गति के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 25.01.2017, 21.02.2017, 29.04.2017 एवं पत्र दिनांक 26.05.2017 से स्पष्ट है कि उपरोक्त अवधि में ठेकेदार द्वारा अत्यन्त धीमी गति से कार्य किया गया था तथा ठेकेदार द्वारा समयावृद्वि के आवेदन पत्र में भी समयावृद्वि के ठोस कारण अवगत नही कराये गये है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि समयावृद्वि हेतु प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित किया गया है स्वीकृति अपेक्षित है। ठेकेदार के अन्तिम देयक से समय वृद्वि हेतु रू0 7.60 लाख की धनराशि रोकी गई है, समयवृद्धि स्वीकृति के द्वारा लगाई गई अर्थदण्ड की धनराशि की कटौती कर ली जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि ठेकेदार के अंतिम बिल के भुगतान के समय तक समयावृद्धि की स्वीकृति न मिलने की स्थिति में ठेकेदार के अंतिम बिल के भुगतान में सेरू0 19,68,625.86 liquidated damages की कटौती की जानी चाहिये थी।

अतः रू0 19,68,625.86 liquidated damages की कटौती न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:3 - उप खनिजों पर रु 12,03,089.00 की रायल्टी कम वसूली किया जाना ।

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर के मालधन चौड़ देविपुरा गौतमनगर (दुर्गापुर किलावली मालधनचौड़) मे हाट मिक्स से संबन्धित सुद्रढीकरण का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 601.64 लाख की शासनादेश संख्या 3240/III(2)/16-63 (प्रा०आ०)/2015 दिनांक: 29.12.2016 द्वारा प्रदान की गयी तथा रु 601.64 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 18.07.2017 को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर के अंतर्गत उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो जांच मे पाया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स प्रशांत विल्टटैक, गाजियाबाद के साथ अनुबन्ध संख्या 06/SE-2/17 दिनांक 30.06.2017 को लागत रू 483.74 लाख का गठित किया। अनुबंध के अनुसार कार्य दिनांक: 28.02.2019 तक समाप्त किया जाना था। जिसके सापेक्ष अतिथि तक कुल 06 देयक प्रस्तुत किए गये। जिनके अवलोकन मे पाया गया कि देयक संख्या- **I** से **VI** के साथ संलग्न **Royalty Statement** के अनुसार ठेकेदार द्वारा रु 3531082.00 की रायल्टी देय थी, जिसमे से खण्ड द्वारा ठेकेदार के देयक संख्या- **I,IV,V** एवं **VI** से अतिथि तक कुल रु 436583.00 की कटौती की गयी थी तथा रु 1891410.40 के रायल्टी सम्बन्धी **form-J/**रवन्ने ठेकेदार द्वारा खण्ड मे जमा किए गये। अवशेष धनराशि रु **1203089.00** (3531082.00-1891410.40-436583.00 लाख) के ठेकेदार द्वारा अतिथि तक न तो e-form-J/रवन्ने खण्ड मे प्रस्तुत किए गए और न ही खण्ड द्वारा देयकों से अवशेष धनराशि की कटौती कर राजस्व मे जमा किया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर खंड द्वारा तथ्यो की पुष्टि करते हुए उत्तर मे अवगत करवाया गया कि अवशेष रायल्टी रु **1203089.00** के सम्बन्ध मे ठेकेदार के अंतिम देयक से पूर्व प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

खंड के उत्तर मान्य नही है क्योकि ठेकेदार द्वारा अवशेष रायल्टी के सम्बन्ध मे अतिथि तक न तो खण्ड मे e-form-J/रवन्ने प्रस्तुत किए गये थे और न ही ठेकेदार के देयकों से कटौती की गई थी।जो कि नियमानुसार ठेकेदार द्वारा e-form-J/रवन्ने प्रस्तुत न करने पर ठेकेदार के देयकों से कटौती कर राजस्व मे जमा की जानी चाहिए थी ।

अत: रु **12,03,089.00** रायल्टी कम वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो (ब)

प्रस्तर –4 कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करना, सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटना तथाकार्य में बिलम्ब हेतु देय धनराशि रू0 31.29 लाख की वसूली ठेकेदारों से नही किया जाना।

मा0 मुख्यमन्त्री जी की घोषणा संख्या 2310/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत तल्ली सेठी बेतालघाट मार्ग का विस्तार एवं डामरीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः–1858/III(2)/16-58(एम0एल0ए0)/2015 टी0सी0 दिनांक 06 जून 2016 द्वारा लम्बाई 7.00 कि0मी0 हेतु लागत रू0 462.02 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 4304/02 याता0– हल्द्वानी/2015 दिनांक 15–07–2016 के माध्यम से 7.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 462.02 लाख की प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 03/2019) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 4304/02 याता0– हल्द्वानी/2015 दिनांक 15–07–2016 के माध्यम से 7.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 462.02 लाख की प्रदान की गयी थी। जबकि कार्य निष्पादन हेतु निविदा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्रांकः 2429/41 एम0–02/2016 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 15.06.2016 को ही आमन्त्रित की गयी जबकि कार्य के अनुबन्ध में दरें मदवार न होकर प्रतिशत दर के आधार पर दी गयी थी।
- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति रू0 462.02 लाख की प्रदान की गयी थी, परन्तु सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए कुल 07 अनुबन्ध गठित किये गये।
- कार्य के अनुबन्धों के G.P.W.-9 के Clause no. 4.5 में प्राविधानित था कि If the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled or rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor from

any money due to him by the Government under this contract or any other account what so ever. अनुबन्ध के उक्त Clause के अनुसार fourth milestone तक कार्य पूर्ण नही होने पर third milestone तक रोकी गयी धनराशि (withheld amount) 10% of the contract value की वसूली ठेकेदार से की जानी थी। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि कार्य हेतु गठित अनुबन्धों के कार्य समाप्ति की तिथि व्यतीत होने के लगभग 16 माह उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य को पूर्ण नही किया गया था जिसके लिये कुल अनुबन्धित लागत रू0 31295072.27 के 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 31.29 लाख की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से किया जाना चाहिये था परन्तु कार्य में बिलम्ब हेतु ठेकेदारों से न तो कोई धनराशि रोकी(withheld) गयी और न ही कोई भी वसूली ठेकेदारों से की गयी, जबकि कार्य हेतु कोई भी समयवृद्धि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान नही किया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया किकार्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए निविदा आमंत्रित कर ली गई थी, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही TS के पश्चात ही की गई थी। कार्य की आवश्यकता एवं कार्यस्थल की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप ही कार्य को टुकड़ों में बांटने की कार्यवाही की गयी, समयवृद्धि प्रकरण स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित किया गया है अर्थदण्ड की कटौती समयवृद्धि स्वीकृति प्रपत्र के अनुसार कर ली जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि कार्य की निविदा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही आमन्त्रित की गयी, सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटा गया था तथा कार्य हेतु कोई समय वृद्धि प्राप्त नही हुई थी तथापि कार्य में बिलम्ब हेतु अनुबन्ध के प्राविधानो के अनुसार ठेकेदारों से न तो कोई धनराशि रोकी (withheld) गयी थी और न ही कोई भी वसूली ठेकेदारों से की गयी थी।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किये बगैर कार्य को टुकड़ों में बांटने तथा कार्य में बिलम्ब हेतु देय धनराशि रू0 31.29 लाख की वसूली ठेकेदारों से नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	01/2007-08	2,3	-
2.	34/2008-09	1,2	-
3.	75/2010-11	01	-
4.	79/2011-12	01	-
5.	68/2013-14	1,2,3	-
6.	119/2014-15	1,2	1,3,4
7.	116/2015-16	1	1,3
8.	119/2016-17	-	1 STAN-1
9.	95/2017-18	1	1,2,3,4,5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अवगत करवाया गया कि विगत वर्षो के अनिस्तारित प्रस्तरों की आख्या उच्चाधिकारियों की सस्तुति के साथ कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
a.	ई॰ मीना भट्ट	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से दिनांक: 07.06.2018 तक।
2.	ई० महेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियंता	दिनांक: 07.06.2018 से वर्तमान तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री विपिन कुमार विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी **अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र - 2